



2026:AHC:166285

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27697 सन् 2026

मुंशी अली @ हसन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : इंद्र देव, कुलदीप कुमार

विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री इंद्र देव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री रोशन कुमार सिंह, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन वाद अपराध संख्या 216 सन् 2026, धारा 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना बरसठी, जनपद जौनपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का ससुर है, जिसने घरेलू विषयों को लेकर हुए एक मामूली विवाद के पश्चात् फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदक को केवल मृतका का ससुर होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री नहीं है कि उसने मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका को प्रताड़ित किया था। अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ आवेदक को सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विवाह के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू करने के लिए यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृतका को मृत्यु से ठीक पूर्व क्रूरता का शिकार बनाया गया था, किन्तु ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।

4. अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 12.06.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. वाद के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मृतका का ससुर है और कारागारों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक वादों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन उच्चतम न्यायालय 3038** में प्रतिपादित निर्देशों तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765** में जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में प्रतिपादित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में सम्मिलित आवेदक-मुंशी अली @ हसन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

i. आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के पश्चात् आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा अथवा किसी अपराध का कारित करना नहीं करेगा।

iv. आवेदक द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण-पत्रों का संबंधित न्यायालय द्वारा बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व सत्यापन किया जाए।

10. आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गई हो तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, इस वचनबद्धता के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, अंतर्गत स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 सन् 2021, दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में तथा पीला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका (दांडिक) संख्या 169 सन् 2025, दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत, में पारित आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जौनपुर के माध्यम से आवेदक को ई-मेल अथवा ई-कारागार पोर्टल पर तथा विचारण न्यायालय को ई-माध्यम से 24 घंटे के भीतर प्रेषित करे।

14. यदि कोई आवेदन हो तो वह निस्तारित किया जाता है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

10 अगस्त, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।